

19.3.2024

2024/783

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
सुमित्रा  
वादा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट  
बनाम  
अनिल कुमार आदि  
प्रकरण संख्या 560 वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
16.12.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 16.01.2025 को पेश हो।  om	
16.1.2025	<p>वकील वादी द्वारा पत्रावली पेश की गई। पत्रावली पेश करने की तारीख 16.01.2025</p> <p>वकील वादी द्वारा पत्रावली पेश की गई। पत्रावली पेश करने की तारीख 16.01.2025</p>	
16.3.2025	<p>वकील वादी द्वारा पत्रावली पेश की गई। पत्रावली पेश करने की तारीख 16.03.2025</p> <p>वकील वादी द्वारा पत्रावली पेश की गई। पत्रावली पेश करने की तारीख 16.03.2025</p>	
19.3.2025	<p>वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र मिलाव देखा पेश करते पर प्रशासकी को पेशी में लिया गया। वकील वादी ने निवेदन किया कि वाद पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं। मौजूदा रिपोर्ट में खारीज करवाना चाहते हैं। वाद पत्र-पत्रावली मौजूदा रिपोर्ट में खारीज किया जाता है। प्रशासकी नखर के क्रम की जाफ्त काउ तारीख तारीख जाफ्त दाखिल पत्रावली हो</p> <p>om</p>	<p>मौजूदा रिपोर्ट में खारीज करवाना चाहते हैं।</p> <p>मौजूदा रिपोर्ट में खारीज करवाना चाहते हैं।</p>

